न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — विनोद कुमार मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 184/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 श्री मोहन पिता रामदेव बैरवा उम्र–वयस्क निवासी गनाहेडा तहसील भीनाय जिला भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार (भूमिधार) फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::— श्री योगेन्द्र सिंह भाटी———— प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 18.01.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 22.12.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 1662 के आराजी संख्या 6604/3291 प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी शुरूआत से अप्रार्थी भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 3288 भूमि में से होकर आता जाती रही है, परन्तु अब तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी राज्य पक्ष की बिलानाम आराजी संख्या 3288 में से 30 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थी के हक स्वामित्व की बिलानाम आराजी संख्या 3288 में से 30 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 28.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। चूंकि प्रकरण में राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां के सिवाय अन्य कोई पक्षकार नही होने से तहसीलदार फूलियाकलां धारा 251क के प्रावधानों के तहत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार फुलियाकलां से रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर ली गई।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां के पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/8 दिनांक 06.01.2023 द्वारा द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें ग्राम कनेछनकलां स्थित विपक्षी राज्य पक्ष की बिलानाम आराजी संख्या 3288 में से रकबा 0.0164 हैक्टयर (164.52 वर्गमीटर/18 मीटर गुणा 9.14 मीटर) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। राज्य पक्ष को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल रकबा 0.0164 हैक्टे. यानि (164.52 वर्गमीटर/18 मीटर गुणा 9.14 मीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते अनुरूप तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा ग्राम कनेछनकलां स्थित विपक्षी राज्य पक्ष की बिलानाम आराजी संख्या 3288 में से रकबा 0.0164 हैक्टयर (164.52 वर्गमीटर/18 मीटर गुणा 9.14 मीटर) नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध सरकार इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित बिलानाम आराजी संख्या 3288 में से रकबा 0.0164 हैक्टयर (164.52 वर्गमीटर/18 मीटर गुणा 9.14 मीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता (सार्वजनिक उपयोग हेतु) कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी भूमिधारी के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0164 हैक्टेयर मालियत राशि की दौगुनी राशि 8,031/– रूपये (0.0164 हैक्टयर की) राज्य कोष को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा